

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-9055 दिनांक-06.11.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-22.11.2023 में मद संख्या-05 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

5. श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना भवन प्रमण्डल, पटना सम्प्रति निर्लंबित को निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के क्रम में विशेष वाद संख्या-10/17 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा दिनांक-21.11.2022 को पारित दण्डादेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के निहित प्रावधानों के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" दंड प्रस्ताव की स्वीकृति।

5. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

24.11.23

24.11.23

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधि०सू० संख्या-भवन/10/निग०-(आरोप)-36/2017-7951(4)/ पटना, दिनांक-6/12/23

:: अधिसूचना ::

श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना भवन प्रमण्डल, पटना सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना, भवन प्रमण्डल, पटना के पदस्थापन काल में ट्रेनिंग कॉलेज के दो कार्यो एवं आयुर्वेदिक कॉलेज, कदमकुआँ के कार्यो से संबंधित भुगतान हेतु ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना काण्ड संख्या-018/2017 दिनांक-02.03.2017 दर्ज किये जाने संबंधी आरोप के लिए आरोप प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय संकल्प संख्या-8878(भ) दिनांक-04.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

(2) उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-527 दिनांक-07.06.2019 द्वारा दण्ड प्रस्ताव में सहमति प्राप्त करने के पश्चात विहित रिति का अनुपालन करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या-7682(भ) दिनांक-26.08.2019 द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

(3) उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री बृजा सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-25057/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-28.09.2021 को पारित न्यायादेश में उक्त विभागीय अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया एवं नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश पारित किया गया।

(4) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री बृजा सिंह के विरुद्ध अधिसूचना संख्या-7682(भ०) दिनांक-26.08.2019 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी संसूचित दण्ड को विभागीय अधिसूचना संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-4209(भ) दिनांक-23.06.2022 द्वारा निरस्त करते हुये विभागीय संकल्प संख्या-4251(भ) दिनांक-23.06.2022 के द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

(5) विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में श्री सिंह के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या-18/17 से उदभूत विशेष वाद संख्या-10/17 सरकार बनाम बृजा सिंह में माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा दिनांक-21.11.2022 को अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सजा के बिन्दु पर सुनने के बाद अभियुक्त श्री सिंह को 7 P.C. Act के अन्तर्गत 04 साल के सश्रम कारावास एवं धारा-13(2)-सह-पठित 13(i)(d) में चार साल की सजा एवं दोनों धाराओं में क्रमशः ₹25,000/- एवं ₹10,000/- अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।

(6) माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा पारित उक्त दण्डादेश के आलोक में मुख्य जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-78(अनु०) दिनांक-10.02.2023 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही का अभिलेख मूल रूप में वापस करते हुए इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई के बिन्दु पर भवन निर्माण विभाग का परामर्श/मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(7) माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दण्डादेश के उपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री बृजा सिंह के विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को संचालित रखने, स्थगित करने या बंद करने के बिन्दु पर परामर्श प्राप्त करने हेतु संबंधित सचिका संख्या-भवन/10/निग० (आरोप)-36/2017 सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की गयी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श का अंश निम्नवत् है:-

कृ०पू०उ०.....

(क) विचाराधीन मामले में श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना को माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा मामले में दोष सिद्ध करार दिया गया है। अतः उक्त मामले में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिना विभागीय कार्यवाही के मामले पर विचार करते हुए दण्डादेश अधिरोपित किया जा सकता है।

(ख) दोषी कर्मी के विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को संचालित रखने, स्थगित रखने या बंद करने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप कार्यवाई किये जाने का परामर्श दिया गया।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी द्वारा पारित न्यायादेश के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-4429(भे)अनु0 दिनांक-31.05.2023 द्वारा श्री सिंह से दंडात्मक कार्यवाई के बिन्दु पर लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया एवं श्री बृजा सिंह से प्राप्त लिखित अभिकथन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(9) उक्त स्थिति में श्री सिंह पर संस्थित "विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने" एवं "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग से दंड के प्रस्ताव पर परामर्श प्राप्त किया गया।

(10) चूकि उक्त दण्ड प्रस्ताव में अधिसूचना की कंडिका-2 में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-9794 दिनांक 22.7.2019 की कंडिका-7 के आलोक में आयोग द्वारा पुनः परामर्श प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं माना गया।

(11) उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमण्डल, पटना भवन प्रमण्डल, पटना सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के क्रम में विशेष वाद संख्या-10/17 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा दिनांक-21.11.2022 को पारित दण्डादेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के निहित प्रावधानों के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" दंड प्रस्ताव पर दिनांक-22.11.2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव श्री बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर, अवर प्रमण्डल, भवन प्रमण्डल सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग को विशेष न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नलिखित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(क) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग0-(आरोप)-36/2017...../ पटना, दिनांक-

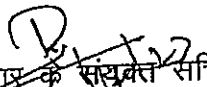
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ई0-गजट कोषांग, वित्त (वै0दा0नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना-07 को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

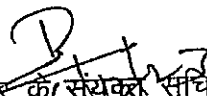
ज्ञापांक- भवन/10/निग0-(आरोप)-36/2017.....9951(12)/ पटना, दिनांक- 6/12/23 (521)
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आफ्ता सचिव/सचिव के आफ्ता सचिव, भवन निर्माण विभाग,
पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष
सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी
उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा-01, भवन निर्माण
विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

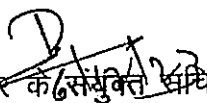
ज्ञापांक- भवन/10/निग0-(आरोप)-36/2017.....9951(11)/ पटना, दिनांक-6/12/23
प्रतिलिपि:-अपर सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-
22.11.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-05 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ
प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग0-(आरोप)-36/2017.....9951(12) पटना, दिनांक-6/12/23
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को थाना कांड संख्या-18/17
विशेष वाद संख्या-10/17 के सजा प्राप्त बंदी श्री बृजा सिंह को हस्तगत कराने हेतु सूचनार्थ
प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/10/निग0-(आरोप)-36/2017.....9951(12) पटना, दिनांक- 6/12/23
प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
